Review Of Research
ISSN: 2249-894X Impact Factor : 3.8014(UIF) Volume - 6 | Issue - 3 | December - 2016

राजस्थान का एकीकरण सिरोही रियासत के विशेष संदर्भ में

सुनीता मीना
व्याख्याता, इतिहास , शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर (राजस्थान)

प्रस्तावना :-

सरदार पटेल और उनके रियासती विभाग को स्थानीय स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ मिल कर विखंडित राजस्थान को अपने भागीरथी प्रयासों से एकीकृत करने में सफलता प्राप्त होती जा रही थी। एकीकरण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में आ पहुँची थी। सिरोही रियासत के भविष्य का क्या निर्धारण किया जाये ? यह प्रश्न अभी बना हुआ था।[1] सिरोही रियासत के राजवंश का सम्बन्ध दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ था। सिरोही शहर सिरोही रियासत की राजधानी थी जिसकी स्थापना 1425 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक समय चितौड़ के महाराणा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के आक्रमण के समय आबू में शरण ली। जब सेना वापस गुजरात चली गई तब राणा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आबू को छोड़ने से इन्कार कर दिया।[2] यद्यपि सिरोही के शासक ने चित्तौड़ के महाराणा को

आबू से निकाल दिया तथापि उसके पश्चात् सिरोही रियासत में कभी भी किसी दूसरे शासक को आने की अनुमति नहीं दी गई। सिरोही का ये एकाकीपन 1823 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के साथ ही खत्म हुआ। 1845 में कुछ शर्तों के साथ सिरोही के शासक ने 6 वर्ग मील भूमि अंग्रेजों को सेनिटोरियम के निर्माण के लिए पट्टे पर प्रदान की। आगे चलकर 1917 में सम्पूर्ण आबू पर्वत को ए.जी.जी को स्थायी लीज पर दे दिया गया जो 4 अगस्त, 1947 को पुनः सिरोही राज्य को मिला।[3] नवम्बर 1947 के अन्त में सरदार पटेल के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि राजपूताना ऐजेंसी के अधीनस्थ कुछ क्षेत्रों को पश्चिमी भारत और गुजरात स्टेट एजेंसी को स्थानान्तरित कर दिया जाए। के.एम. मुन्शी व गुजरात के अन्य नेता महागुजरात संघ के निर्माण के लिए प्रयत्नशील थे। यह सुझाव उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु दिया गया था। जिन रियासतों को स्थानान्तरित करने का विचार किया गया उनमें सिरोही, भी सम्मिलित था।[4] इस विषय पर स्थानीय नेता और क्षेत्रीय आयुक्त भारत सरकार से विचार विमर्श किया गया। तदनन्तर सिरोही को भी पश्चिमी भारत और गुजरात स्टेट ऐजेंसी को हस्तान्तरित कर दिया गया[5] और ये परिवर्तन 1 फरवरी 1948 से लागू माना गया।

गुजरात राज्य के शासकों ने अपने राज्य को बम्बई प्रांत में विलय पर सहमति प्रदान कर दी। ऐसे में सिरोही के विषय मे भी विचार विमर्श किया गया।[6] अन्त में 8 नवम्बर, 1948 को महारानी सिरोही के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इसे केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दो महीने पश्चात् 5 जनवरी, 1949 को इसे भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बम्बई सरकार को प्रशासनिक कार्य सम्भालने के लिए दे दिया गया। सिरोही रियासत की गद्दी को लेकर विवाद चल रहा था। 23 जनवरी, 1946 को सिरोही के अंतिम महाराव स्वरूप राम सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके कोई पुत्र नहीं था। भारत सरकार ने देवातियॉ कमेटी की सिफारिश को मानते हुए अभय सिंह को सिरोही का महाराव स्वीकार किया[7] तथा उन्हें 2,12,600 रूपये वार्षिक कर से मुक्त प्रिवीपर्स

अनुदानित करने की घोषणा की।

राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानी सिरोही के, राज्य में विलय को लेकर उग्र होते जा रहे थे। समाचार पत्रों में भी सिरोही का प्रश्न बराबर उठ रहा था। ऐसे में सरदार पटेल ने वी. पी. मेनन को सिरोही जाकर वस्तुस्थिति का अध्ययन करने के लिए कहा।[8] गुजरातियों का मानना था कि आबू पर्वत पारम्परिक और ऐतिहासिक दृष्टि से गुजराती संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आबू–देलवाड़ा के सुप्रसिद्ध जैन मंदिर उनकी सुन्दर नक्काशी, जैन परम्परा से जुड़े हुए थे। गुजरात और काठियावाड़ की जैन आबादी हर वर्ष यहां की यात्रा करती थी। ऐसे में आबू पर्वत को राजस्थान को देने का वे विरोध कर रहे थे। सिरोही के राजवंश का भी काठियावाड़ और कच्छ के राजदरबार से घनिष्ठ संबंध था।[9] इसलिए सिरोही गुजरात के अधिक निकट था ऐसा गुजरातियों का मानना था। दूसरी तरफ राजस्थान की जनता का तर्क था कि सिरोही सदियों से राजपूताना का भाग रहा है। सिरोही की अधिकतम आबादी गैर गुजराती भाषी है । यह राजस्थान का एकमात्र पर्वत सैलानी केन्द्र है, यहाँ के शासक गर्मियों में आबू को अपना निवास स्थान बनाते थे। ये सब तथ्य वी. पी. मेनन के सामने दोनों पक्षों ने रखे।

हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल, 1948 के तार में सरदार पटेल को लिखा "यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही अर्थ है गोकुलभाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते।"[10] उन्होंने सरदार पटेल को 14 अप्रैल को दूसरा तार भेजा जिसमें लिखा कि "हम लोग कोई कारण नहीं देखते कि क्षण मात्र के लिए भी सिरोही को राजस्थान की अपेक्षा रियासतों के अन्य किसी समूह में मिलाने की दिशा में सोचा जा सकता है इस प्रश्न पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान की जनता की भावनाओं की अनदेखी न करें। मुझे विश्वास है कि आप हमारी सर्वसम्मत प्रार्थना को स्वीकार कर हमारी सहायता करेंगे।"[11]

18 अप्रैल, को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमण्डल जवाहर लाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत करवाया। नेहरू ने दिल्ली लौटते ही सरदार पटेल को पत्र लिखा जिसमें लिखा कि "समस्त राजस्थान के कार्यकर्ताओं में सिरोही के प्रश्न पर आक्रोश व्याप्त है अगर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आक्रोश बढ़ सकता है। मुझे इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है। परन्तु साधारणतया जहां मतभेद हो वहां जनता की राय ही मान्य होनी चाहिए।"[12] सरदार पटेल चतुर थे उनके ऊपर गुजराती नेताओं का प्रभाव था अतः उन्होंने 22 अप्रैल, 1948 को पंडित नेहरू के पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि "सिरोही के सम्बन्ध में मेरी राजस्थान के नेताओं से कई बार बातचीत हुई है। सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि सिरोही गुजरात को दिया जाना चाहिए। राजस्थान को सिरोही नहीं चाहिए। उन्हें तो गोकुलभाई भट्ट चाहिए। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान को दिये बिना ही पूरी की जा सकती है।"[13] इधर वी. पी. मेनन लिखते है कि "इस विवाद में न तो गुजरात के नेताओं ने और न ही राजस्थान के नेतृत्व ने स्थानीय जनता की इच्छाओं को जानने का प्रयास किया। सिरोही के लोकप्रिय नेता भी आपस में एक मत नहीं थे। "एक गहन अध्ययन के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुचे कि सम्पूर्ण सिरोही को बम्बई में मिलाना सही नहीं होगा।[14]

इस समय रियासती विभाग पूरी तरह गुजराती नेताओं के प्रभाव में था और वे आबू पर्वत के सैलानी केन्द्र को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध थे। अतः जनता के विरोध के पश्चात् भी सिरोही का विभाजन कर दिया गया। चतुर सरदार ने जनवरी 1950 में माउण्ट आबू सहित सिरोही का एक भाग जिसमें आबू रोड और देलवाड़ा तहसील के 89 गाँव अर्थात् 304 वर्गमील भूमि को गुजरात में मिला दिया।[15] जबकि गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल सहित सिरोही का शेष भाग राजस्थान को प्रदान कर दिया गया। गोकुल भाई भट्ट सिरोही के इस विभाजन से अत्यधिक द्रवित थे।

यह विभाजन बम्बई राज्य एकीकरण अध्यादेश, 1950 के रूप मे सामने आया और इसे 25 जनवरी, 1950 से लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी करके सिरोही के क्षेत्र पर, अपने क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया तथा उन पर अपना अधिकार प्रस्तुत किया। ये क्षेत्र निम्नलिखित थे।[16]

1. शिवगंज मुख्यालय के साथ शिवगंज तहसील।

2. पिंडवाड़ा मुख्यालय के साथ पिंडवाड़ा तहसील।
3. सिरोही मुख्यालय के साथ सिरोही तहसील।
4. भंवारी मुख्यालय, आबू रोड के उत्तर में स्थित ब्लाक नं. 2 भंवारी तहसील के साथ।
5. रेओदार तहसील अधिसूचना में जारी क्षेत्रों के साथ।

18 मार्च, 1948 को मत्स्य संघ के उद्घाटन से राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह अन्ततः 26 जनवरी, 1950 को कतरे हुऐ सिरोही राज्य के विलय के साथ अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी।[17] 28 जनवरी, 1950 को आबू ताल्लुका में एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें इस विभाजन का विरोध किया गया। इस आंदोलन में गोकुल भाई भट्ट के अतिरिक्त बलवंत सिंह मेहता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया।[18]

सितम्बर, 1951 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के रियासती विभाग को पत्र लिखकर[19] सिरोही के शेष भागों को राजस्थान संघ को पुनः लौटाने की माँग की। भारत[20] सरकार के रियासती विभाग ने इस पत्र के जवाब में सूचित किया कि सिरोही के आबूरोड़ व देलवाड़ा तहसील का राजस्थान संघ में पुनर्विलय का मुद्दा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित है और इस पर विचार का अधिकार सामान्य चुनाव के पश्चात नई व्यवस्थापिका को ही होगा।

राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने भी 10 मई, 1951 को आबू क्षेत्र को राजस्थान क्षेत्र में सम्मिलित करने की मांग की।[21] राजस्थान की विधान सभा में भी 22 अप्रैल, 1952 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके मांग की, कि सिरोही के अलग हुए भाग का राजस्थान में विलय किया जाये।[22] इसी मध्य गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 22 जून, 1952 को एक प्रस्ताव पारित करके बयान जारी किया कि सम्पूर्ण सिरोही को बंबई राज्य में सम्मिलित कर देना चाहिए।[23] इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने इतिहासकारों व विद्धानों को एकत्रित करके पूर्व मुख्य मंत्री टीकाराम पालीवाल की अध्यक्षता में 8 सितम्बर, 1952 को एक सभा का आयोजन किया इसके पश्चात् एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन राजस्थान पुरातत्व मंदिर के निर्देशक मुनी जिन विजय को सौंपी गई। इस कमेटी के सदस्यों ने आबू और देलवाड़ा तहसील के आस पास के प्रदेशों का दौरा किया ताकि वे 303.8 वर्ग मील (786.8 वर्ग कि.मी.) क्षेत्र तथा इस पर निवास करने वाली 40900 की जनसंख्या के भाग्य का फैसला कर सकें। इस समिति के सदस्यों ने गांव–गांव घूमकर आम जनता तथा विशेषज्ञों से राय मांगी तथा में सलाह मशवरा करके भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आबू के राजस्थान के विलय के पक्ष में अपना निर्णय दिया।[24] दूसरी तरफ महाराजाधिराज अजीत सिंह (पाली–सिरोही लोक सभा क्षेत्र से सांसद) ने 24 दिसम्बर, 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग को राजस्थान सरकार के पक्ष में एक ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने आरोप लागाया कि सिरोही की जनता को जनमत संग्रह के अधिकार अथवा स्वयं निर्णय से वंचित किया जा रहा है[25]

इस प्रकार राजस्थान के जन मानस ने वो हर संभव प्रयास किया जिसमें आबू व देलवाडा का भू भाग राजस्थान को प्राप्त हो जाये।[26] अन्ततः 1 नवम्बर, 1956 को सिरोही के आबू रोड व देलवाड़ा तहसील के क्षेत्र को पुनः राज्य में सम्मिलित कर दिया गया।

संदर्भ सूची

- वी. पी. मेनन – इन्टिग्रेशन ऑफ दी इंडियन स्टेट पृ. 307

1. उपरोक्त – पृ. 307–308
2. बी. एल. पानगडिया – राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम पृ. 108
3. आर.पी.व्यास – आधुनिक राजस्थान का वृहद् इतिहास पृ. 382
4. a आर.एल.हाडा – हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टेट्स पृ. 321–22

b बी.एल.पानगडिया– राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम पृ. 108

5. वी.पी.मेनन– इन्टिग्रेशन ऑफ द इण्डियन स्टेट्स पृ. 308
6. a आर.पी.व्यास– आधुनिक राजस्थान का वृहद इतिहास पृ. 201

b बी.एन. ढोनडियाल– राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियरस सिरोही पृ. 82
7. वी.पी.मेनन– इन्टिग्रेशन ऑफ द इण्डियन स्टेट्स पृ. 310
8. a आर.पी.व्यास– आधुनिक राजस्थान का वृहद इतिहास पृ. 395
b वी.पी.मेनन– इन्टिग्रेशन ऑफ द इण्डियन स्टेट्स पृ. 310
9. दुर्गादास– सरदार पटेल्स कोरस्पोन्डेंस, जिल्द–7 पृ. 397
10. हीरालाल शास्त्री– प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र पृ. 334
11. दुर्गादास– सरदार पटेल्स कोरस्पोन्डेंस, जिल्द–7 पृ. 396–397
12. उपरोक्त पृष्ठ 396–397
13. वी.पी. मेनन– इन्टिग्रेशन ऑफ द इण्डियन स्टेट्स पृ. 310
14. आर.पी. व्यास–आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास पृ. 395
15. राजस्थान गैजट एक्टराऑर्डिनरी वाल्यूम I न. 166, दिनोक 7 फरवरी 1950, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग की अधिसूचना न. एफ – 2(7) Pol.-B/50 दिनांक 7 फरवरी 1950
16. राजस्थान गजट एक्स्ट्राआर्डिनरी वॉलयूम I न. 110, दिनोक 24 नवम्बर 1949 संयुक्त राज्य राजस्थान सरकार – जयपुर।
17. a बी.एल. पानगडिया– राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम पृ. 143
b आर.पी. व्यास– आधुनिक राजस्थान का बृहद इतिहास पृ. 395
18. गोपनीय डी. ओ. लेटर न. HCM/SC/F1(10)Pol.1 A 51, दिनांक 7 सितम्बर 1951 जयनारायण व्यास (CM) द्वारा श्री गोपालास्वामी अयंगर राज्यो के मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली फाईल न. 2/SRC/54/claim
19. डी.ओ.पत्र क्रमांक एफ 10 (57) पी ए /51 दिनांक 21 सितम्बर 1951 श्री वी. शंकर संयुक्त सचिव, भारत सरकार, राज्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मुख्मंत्री, राजस्थान, वाईड फाइल क्रमांकः 2/src/54/claim ऑफ राजस्थान/इन्टर मिडइरी/डिपोजिटरी/ जयपुर/आरएसए
20. राजस्थान राज्य के आबू तथा देलवाड़ा क्षेत्र जो सिरोही के भाग हैं पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। जो कि वर्तमान में बंबई में सम्मिलित हैं। महाराजाधिराज अजीत सिंह (पाली–सिरोही क्षेत्र से लोक सभा के तत्कालीन सांसद) द्वारा राज्य पुर्नगठन आयोग को दिया गया ज्ञापन दिसम्बर 24, 1953
21. आबू समिति का प्रतिवेदन (सारांश) राजस्थान सरकार जयपुर (1955) पृ. 2 & 6–21
22. महाराजाधिराज अजीत सिंह द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग को दिया गया ज्ञापन, 24 दिसम्बर 1953
23. आबू समीति प्रतिवेदन (सारांश) राजस्थान सरकार जयपुर (1955) पृ. 2 & 6–21
24. महाराजाधिराज अजीत सिंह द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग को दिया गया ज्ञापन दिसम्बर 24, 1953
25. केबिनेट परिपत्र नं. एफ1/cab.sec/55 दिनांक– 19 अक्टूबर 1955 राजस्थान सरकार वाईड फाइल न. 24SRC/54/ड्राफट ऑफ जनरल डिफेंस मैमोरेडा टू SRC/इन्टरमिडाइरी डिपोजिटरी, जयपुर रा.रा.अ.